न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प नेतरा, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 1799/2015
दायर तिथि— 03.11.2015
तारीख फैसला— 15.06.2018

वादीनी—

1—श्रीमती सीता धर्मपत्नी राजूसिंहजी जाति राजपुरोहित निवासी पराखिया तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।

बनाम

प्रतिवादीगण—

1— गुमानसिंह पुत्र रूपाजी जाति पुरोहित निवासी पराखिया तहसील सुमेरपुर
2—तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

—:निर्णयः—

वादीनी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पराखिया पटवार सर्कल नेतरा में स्थित वादीनी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 11 रकबा 2.94 हैक्टर है। जिसमें वादीनी सीता राजपूरोहित पत्नी राजूसिंह को ख.न. 11 रकबा 1.47 हैक्टर तथा प्रतिवादी गुमानसिंह पुत्र रूपाजी जाति राजपूरोहित को ख.नं. 11/1 रकबा 1.47 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है। रिपोर्ट व नजरी नक्शा पटवारी हल्का नेतरा से प्राप्त कर रेकर्ड पर लिये गये जिसके फलस्वरूप उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य निम्न रूंपेण अन्तिम विभाजन किया जाता है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा(हैक्टर)	किस्म	लगान
1	सीता राजपूरोहित पत्नी राजूसिंह सा.देह खातेदार	11	1.47	बा.दो.	
2	गुमानसिंह पुत्र रूपाजी जाति राजपूरोहित सा.देह खातेदार	11/1	1.47	बा.दो.	
		2	2.94	—	—

अतः वादीनी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर उपरोक्तानुसार अन्तिम विभाजन किया जाता है तथा बटवाड़ा मुजब खातेदार एक—दुसरे की बंट व हिस्से की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगें एवं ना ही अन्य किसी से करायेंगें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। माफिक बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अंतिम डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सुमेरपुर एवं हल्का पटवारी नेतरा उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शा में तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। पटवारी हल्का नेतरा से प्राप्त प्रस्तावित बंटवाड़ा रिपोर्ट व नजरी नक्शा इस निर्णय अभिन्न भाग माना जायेगा।

निर्णय आज दिनांक **15.06.2018** को राजस्व लोक अदालत केम्प नेतरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला—पाली

Scanned by CamScanner